

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान - गंगा देवी बनाम सुरजमान सिंह
 किस्म मुकदमा- प्रा0- पत्र 251 (ए) आर.टी.एक्ट. अधिनियम 1955
 मुकदमा नं.- विविध 06/2022

दिनांक	आज्ञा पत्र
29.04.2022	प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री नानूराम बुडानियां उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रा0-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सीकर से रास्ता प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 27.05.2022 को पेश हो।
27/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 1-7-22 को पेश हो।
1/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 17/11/22 को पेश हो।
8/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 17/11/22 को पेश हो।
17/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त है। पत्रावली में श्राद्धिक विवाद किया गया। पत्रावली में स्वयं हाजिर। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के स्वयं विवाद वद्वेषिकता के विभाजन प्रस्तावानुसार रास्ता कायम करने हेतु अपनी पहचानी पत्रान की है। रास्ता प्रस्ताव का वपतापत्रिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अभी वपत्रावली में सेटुवट होने पर आपकी पहचानी से आवेदन 251A RTA का स्वीकार किया जाकर वद्वेषिकता के अंतर्गत के रास्ता प्रस्ताव क्रमांक राजपत्र/2022/1225 दिनांक 13.9.2022 के अनुसार रास्ता कायम से किए जाने की स्थिति पत्रान की जाती है। वद्वेषिकता के अंतर्गत का प्रस्ताव आवेदन का भाग रहेगा। इसके अनुसार आवेदन का अंशल दरमद किया जावे। पत्रावली शुभत होकर जस्टिस ले कर है। श्राद्धिक विवाद ही आवेदन का भाग रहे। वद्वेषिकता के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी सीकर
 उपखण्ड अधिकारी सीकर

पत्रावली आ.ता.पेशी
 दिनांक 17/11/22 को
 पेश हो।
 (सुरजमान सिंह)